विश्व हिन्दू परिषद् ॐ VISHVA HINDU PARISHAD

टेलीफैक्स : 91-11 26178992, 26103495
तार : हिन्दूधर्म Gram : " HINDUDHARMA"
Telefax : 91-11-26178992, 26103495

Registered Under Societies Registration Act 1860 No. S 3106 of 1966-67 with Registrar of Societies, Delhi
संकट मोचन आश्रम, (हनुमान मंदिर) सेक्टर-६, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली -११००२२(भारत)
SANKAT MOCHAN ASHRAM (HANUMAN MANDIR), SECTOR-VI, RAMAKRISHNA PURAM , NEW DELHI-110 022 (BHARAT)

वि0हि0प0 / 213 / 2013 24 अगस्त, 2013

सभी क्षेत्रीय प्रान्तीय संगठन मंत्री एवं अन्य सभी परिषद से संबंधित अधिकारियों की सेवा में

विशेष नोट : पूर्व में जो ज्ञापन का प्रारुप भेजा गया है, उसे निरस्तर कर दें। इसी प्रारुप को ज्ञापन में दें।

बन्धुवर,

जय श्रीराम।

आशा है आप स्वस्थ एवं कुशल पूर्वक होंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रीअयोध्याजी में 84 कोसी पू. संतों की धार्मिक यात्रा को रोके जाने के संबंध में आम जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शान्ति पूर्वक धरना, प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिए जाने वाला ज्ञापन संलग्न है। यह प्रान्त में शासकीय जिला केन्द्रों पर जिला डी0एम0 / डी0सी0 को देने के लिए प्रारूप है।

धन्यवाद सहित,

आपका

दिनेश चन्द्र

(दिनेशचन्द्र)
संगठन महामंत्री

पूज्य सन्तों के द्वारा श्रीअयोध्या जी 84 कोसी धार्मिक पद यात्रा को रोके जाने के सम्बन्ध में धरना/प्रदर्शन पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिए जाने वाला ज्ञापन

माननीय महोदय,

फरवरी, 2013 प्रयाग महाकुम्भ के अवसर पर दस हजार सन्तों की उपस्थिति में श्रीराम जन्मभूमि के विषय में प्रस्ताव आया कि–

1. **संसद श्रीराम जन्मभूमि को संसदीय कानून बनाकर हिन्दू समाज के सुपुर्द करे।**
2. **सम्पूर्ण सत्तर एकड़ अधिग्रहीत भूमि में श्रीराम जन्मभूमि के भव्य मन्दिर का निर्माण हो।**
3. **बाबरी नाम का कोई भी प्रतीक अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में नहीं बने।**

उपरोक्त तीनों बातों को लेकर 30 मई, 2013 को सन्तों का प्रतिनिधि मण्डल महामहिम से मिलने गया था। वार्ता में यह स्पष्ट किया गया कि–

- बाबरी ढाँचा गिर जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा जी ने सुप्रीमकोर्ट से सुझाव मांगा कि 1528 ई0 में निर्मित बाबरी ढाँचा एक सपाट भूमि पर बना था या हिन्दू मन्दिर तोड़कर बनाया गया था ? इस पर सुप्रीमकोर्ट ने उनकी मंशा पूछी। भारत सरकार ने यह शपथ पत्र दिया कि यदि विवादित ढाँचा किसी हिन्दू मन्दिर/स्थान को तोड़कर बनाया गया है तो हिन्दू भावनाओं के अनुरूप सरकार कार्य करेगी। सन्तों के शिष्ट मण्डल ने श्री प्रणव मुखर्जी को कहा कि 60 वर्ष के पश्चात श्रीराम जन्मभूमि मुकदमे का फैसला श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ है। आज रामलला जहाँ विराजमान हैं वही श्रीराम जन्मभूमि है, इसे तीनों न्यायाधीशों ने एक स्वर से स्वीकार किया। हिन्दू मन्दिर को तोड़कर उसके मलबे से ढाँचे का निर्माण किया गया था। मुस्लिम कानूनी मान्यताओं के अनुसार मस्जिद प्रमाणित नहीं हो सकी अतः उनका मुकदमा निरस्त कर दिया गया।
- शिष्ट मण्डल ने महामहिम जी से स्पष्ट कहा कि केन्द्र सरकार हिन्दू भावनाओं के अनुरूप कार्य करने को वचनबद्ध है, वह संसद में विधेयक लाकर अधिग्रहीत 70 एकड़ भूमि श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण हेतु हिन्दू समाज के सुपुर्द करे।
- महामहिम जी से स्पष्ट कहा गया कि 480 वर्ष तक 76 संघर्षों और लाखों बलिदान देने के बाद बाबरी ढाँचे से मुक्ति मिली है अतएव अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा (चौरासी कोसी परिक्रमा) में बाबर का कोई भी प्रतीक हिन्दू समाज को अब स्वीकार्य नहीं है।
- कुम्भ के प्रस्ताव को महामहिम जी के सामने स्पष्ट करते हुए पूज्य सन्तों ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय इसी मानसून सत्र में श्रीराम जन्मभूमि के संदर्भ में विधेयक प्रस्तुत करें।

11–12 जून, 2013 को केन्द्रीय मार्गदर्शक मण्डल ने हरिद्वार में उपरोक्त तीनों प्रस्तावों के लिए आगामी कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए –

25 अगस्त से 13 सितम्बर, 2013 तक पूज्य सन्तों द्वारा चौरासी कोसी परिक्रमा मांग पर पद यात्रा सम्पन्न की जाए जिसमें 20 दिन में चालीस पारम्परिक पड़ाव यात्रा में आते हैं। विश्व हिन्दू परिषद के भारतवर्ष के चालीस प्रान्तों में से हर प्रान्त से पदयात्रा हेतु लगभग 200 सन्त प्रतिदिन यात्रा करके वापस जाएंगे। इस चौरासी कोसी सीमा के अन्तर्गत कोई भी बाबरी प्रतीक सन्तों को स्वीकार्य नहीं।

यदि संसद के मानसून सत्र में विधेयक नहीं आता है तो 18 अक्टूबर, 2013 को पूरे देशभर में एक लाख स्थानों पर श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण हेतु संकल्प लिया जाएगा और श्रीअयोध्या जी में एक विराट संकल्प सभा का आयोजन होगा, जिसमें सरयू का जल हाथ में लेकर तीनों प्रस्तावों के समर्थन में विराट सभा संकल्प लेगी।

पूज्य सन्तों के 11 सदस्यीय शिष्ट मण्डल ने 17 अगस्त, 2013 को श्री मुलायम सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह से दो घण्टे की चर्चा में चौरासी कोसी यात्रा के सम्बन्ध में सभी विषय स्पष्ट कर दिए थे। चर्चा में यह आभास नहीं हुआ कि यात्रा पर प्रतिबन्ध लग जाएगा। सभी आश्वस्त थे कि धार्मिक यात्रा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो सकेगी।

अचानक उसके दूसरे दिन यात्रा को रोकने का आदेश जारी किया गया और अब सम्पूर्ण भारत से प्रतिदिन आने वाले सन्तों पर दमन चक्र चला है। यह संविधान में प्रदत्त हमारी मौलिक धार्मिक अधिकारों का हनन है।

प्रत्येक दिन केवल मात्र 200 सन्तों की पदयात्रा एवं 40 पड़ावों में से केवल दो पड़ावों के ग्रामीण समाज के बीच सन्त प्रवचन करने से कौन सी कानून व्यवस्था बाधित हो रही है, यह महान आश्चर्य का विषय है। इस निर्णय पर महामहिम हस्तक्षेप करें जिससे संविधान की भावनाओं की रक्षा हो सके। आपका स्थान आज देश में सर्वोपरि है। ऐसे प्रतिदिन दो सामान्य कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए एक दर्जन पुलिसकर्मी पर्याप्त है, वहाँ सुरक्षा बलों की कई कम्पनियाँ लगाना संवैधानिक अपराध है।

आपसे हम आग्रह करते हैं कि तत्काल हस्तक्षेप करें जिससे यात्रा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो तथा हिन्दू समाज के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके।

भवदीय

.....

.....